

अज अदालत सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.), मुकाम-सिरोही(राज.)

वादीगण
1. दिनेशकुमार पुत्र श्री सरूपारामजी
जाति सरगडा नि. अन्दौर
तहसील व जिला सिरोही

प्रतिवादीगण
1. श्री उषा पुत्री श्री जैसाराम
जाति मेधवाल नि. मांकरोडा
तहसील व जिला सिरोही
व अन्य - 07

किस्म मुकदमा,
रा.प्रा.पत्र. अधारा 212 आर.टी.एक्ट

रा.प्रा.पत्र सं. 74 / 2024

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुये
21-06-2024	<p>प्रार्थी ने यह रा.प्रा.पत्र अधारा 212 आर.टी.एक्ट का विरुद्ध अप्रार्थीगण का हमारे समक्ष इस न्यायालय में पेश किया। हमने उक्त रा.प्रा.पत्र व संलग्न दस्तावेजात प्रतियों का अवलोकन किया तथा उस पर मनन किया तो हम उक्त रा.प्रा.पत्र में अंकित तथ्यों से प्रथम दृष्टियों आश्वस्त होने से दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थी को नोटिस जारी हो। मिसल आयन्दा वास्ते इन्तजार तामिली व जवाब अप्रार्थीगण हेतु दिनांक 28-06-2024 को पेश हो।</p>	
28/6/24	<p>सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) सिरोही</p> <p>पञ्जावली मेधा हुई। वकील उषा उप.। पी.डी.ओ. अफिलारी डिगिट रा.पत्र में कानून के मत: पञ्जावली डेलतवा होत दिनांक 25/7/24 को पेश हो।</p>	<p>पञ्जावली प्र. 2 व 3 की अतिरिक्त फोटो की गई है।</p>
25/7/24	<p>पञ्जावली मेधा हुई। वकील उषा उप. व अफिलारी दिनेश कुमार उप.। जिन्होंने उक्त को Not Press किया है।</p> <p>किन्तु वकील उषा उप. व अफिलारी ने उक्त को Not Press नर दिया किन्तु उक्त उक्त को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं होने पर उक्त को जरिये Not Press खाती किया जाता है निर्यात करे इजलास सुनला उक्त। पञ्जावली उक्त सुमार होत रम्बर व नम ही।</p> <p>सहायक कलेक्टर सिरोही (राज.)</p>	<p>दिनेश पञ्जावली</p>